

प्रेषक,

विष्णु चन्द्र वैश्य,
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-01, फर्रुखाबाद।

सेवा में,

श्रीमान उपनिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।

विषय-
महोदय,

ऑन-लाइन प्रार्थना पत्र दिनांकित 01-02-2020 के सम्बंध में आहूत आख्या।

सविनम्र निवेदन है कि प्लॉट नम्बर B107 रकवा 245.50 वर्ग मीटर, माधव ग्रीन विलेज, ग्राम लौलाई, जनपद लखनऊ के सम्बंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या उपरोक्त भूखण्ड के बाबत माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त की गयी है।

इस सम्बंध में माननीय न्यायालय को अवगत कराना है कि प्रार्थी के द्वारा दिनांक 17-01-2014 को उपरोक्त भूखण्ड अर्षा इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि० लखनऊ से उनके द्वारा विकसित किये जा रहे माधवग्रीन विलेज, ग्राम लौलाई, जनपद लखनऊ में भूखण्ड उपरोक्त को क्रय किया गया था। जिसके सम्बंध में दिनांक 01-03-2014 को सूचना माननीय न्यायालय को पूर्व में भेजी गयी थी और दिनांक 01-03-2019 को भेजे गये प्रापर्टी स्टेटमेंट वित्तीय वर्ष 2013-14 में उक्त भूखण्ड को क्रय किये जाने के सम्बंध में सूचना पूर्व में भेजी गयी है।


उपरोक्त भूखण्ड एक प्रतिष्ठित फर्म अर्षा इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि० के नाम से है, से क्रय किया गया। उक्त फर्म एक प्रतिष्ठित फर्म है। उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 की धारा 24 के अनुपालन में उक्त भूखण्ड को क्रय किये जाने के उपरान्त सूचना माननीय न्यायालय को भेजी गयी थी क्योंकि विक्रेता नियमित व ख्याति प्राप्त फर्म है। ऐसे प्रकरण में भूखण्ड क्रय करने हेतु पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त फर्म से भूखण्ड क्रय किये जाने के उपरान्त माननीय न्यायालय को पूर्व में नियमानुसार सूचित किया गया है एवं प्रार्थी के प्रापर्टी स्टेटमेंट वित्तीय वर्ष 2013-14 में दर्शित करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया है।

आख्या श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक-17-10-2023

भवदीय

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।



(विष्णु चन्द्र वैश्य)

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-01, फर्रुखाबाद।

अपर जनपद न्यायाधीश
दिनांक-17-10-23

विष्णु चन्द्र वैश्य
Vinay Kumar

अपर जनपद न्यायाधीश
दिनांक-17-10-23

प्रेषक

विष्णुचन्द्र वैश्य,
सिविल जज(सी0डि0),
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

विषय:- प्रार्थी द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक, बैंक आफ इंडिया के ब्रांच टेडी पुलिया, लखनऊ से ऋण लेकर आर्षा इन्फ्राडेवलपर्स प्रा0लि0 लखनऊ से माधवग्रीन प्रोजेक्ट ग्राम लौलाई जनपद लखनऊ में 242.50 वर्गमीटर का प्लॉट सं0-बी-107 क़य किए जाने की सूचना प्रेषित किए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

अति विनम्रता पूर्वक अवगत कराना है कि प्रार्थी के सैलरी एकाउंट सं0-30613665548 भारतीय स्टेट बैंक में पद्मनाभन समिति की सिफारिश से बढ़े वेतन का एरियर वाउचर सं0-ए.20/21.06.2011 रू0 4,17,511/- तथा अर्जित अदंश के नकदीकरण का रू0 65,617/- रू0 जिसे प्रार्थी ने बचाकर रखा था। प्रार्थी ने आर्षा इन्फ्रा डेवलर्स प्रा0लि0 लखनऊ से उनके द्वारा विकसति किए जा रहे माधवग्रीन प्रोजेक्ट ग्राम लौलाई में भूखण्ड सं0-बी-107 क्षेत्रफल 242.5 वर्गमीटर क़य करने हेतु सम्पर्क किया और उक्त डेवलपर्स ने उक्त भूखण्ड की कुल कीमत रू0 24,00,000/- (चौबीस लाख रूपये) में बताया और 30 प्रतिशत डाउनपेमेंट रू0 7,20,000/- की मांग की। मेरे द्वारा अपने सैलरी एकाउंट सं0-30613665548 भारतीय स्टेट बैंक के कार्ड चैक सं0-432763 दिनांकित-31.10.2013 के द्वारा रूपये 7,20,000/- उक्त डेवलपर्स को अदा किया गया, जिसके सम्बंध में उक्त डेवलपर्स ने रसीद सं0-610 दिनांकित 31.10.2013 निर्गत किया। भूखण्ड क़य किए जाने की शेष धनराशि को मेरे द्वारा बैंक आफ इंडिया ब्रांच टेडी पुलिया लखनऊ से ऋण द्वारा लिया जाना था। ऋण की प्रोसेसिंग के द्वारा उक्त बैंक ने अवगत कराया कि ऋण की स्वीकृति भूखण्ड क़य करने एवं उसपर मकान निर्मित करने के लिए की जायेगी, जिसके लिए कुल ऋण की धनराशि रू0 21,64,817/- (इक्कीस लाख चौंसठ हजार आठ सौ सत्रह मात्र) स्वीकृत करना होगा और सर्वप्रथम उक्त बैंक रू0 16,80,000/- रू0 के ऋण की धनराशि भूखण्ड क़य करने के लिए देगा और शेष ऋण की धनराशि पश्चातवर्ती प्रक्रम पर मकान निर्माण प्रारम्भ करने पर डिस्बर्स किया जायेगा। बैंक ने 7 माह का मोरैटोरियम पीरिएड रखते हुए केवल ब्याज की धनराशि अदा करने के लिए किया है और तत्पश्चात रू0 21,419/- की किश्त प्रतिमाह प्रारम्भ होगी। ऋण अदायगी 234 ईजी मन्थली स्टालमेंट के माध्यम से की जायेगी, जो बैंक आफ इंडिया शाखा टेडी पुलिया, लखनऊ में मेरे द्वारा खोले गये खाता सं0-682110110009322 में से प्रतिमाह बैंक आफ इंडिया के गृह-ऋण खाता सं0-682175110000130 में प्रतिमाह जमा हो जायेगी। प्रार्थी के उक्त ऋण की धनराशि में से उक्त बैंक ने मु0 16,80,000/- रू0 सीधे विक्रेता आर्षा इन्फ्रा डेवलपर्स के खाते में डाल दिया है। अपने सैलरी एकाउंट से मु0 1,78,000/- रू0 नेफ्ट के माध्यम से दिनांक-27.12.2013 को विक्रेता के खाते में अंतरित किया गया, जिसमें से रू0 1,68,000/- की धनराशि बैनामा के लिए स्टाम्प खरीदने के लिए थी और 10,000/- रू0 की धनराशि बैनामा की फीस के मद में थी। विक्रेता आर्षा इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा0लि0 रजिस्टर्ड आफिस 2/334 स्टेशन रोड विवेक खण्ड गोमती नगर लखनऊ के निदेशक श्री मथुरेश श्रीवास्तव द्वारा प्रार्थी तथा प्रार्थी की पत्नी श्रीमती निधी गुप्ता के हक में दिनांक-17.01.2014 को वही सं0-1 जिल्द सं0-14848 पृष्ठ सं0-123 से 150 पर क्रमांक 628 पर रजिस्ट्रीकृत बैनामा उप-निबंधक, द्वितीय के कार्यालय में निष्पादित किया गया। उक्त के सम्बंध में सूचना माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर न0-25/एडमिन(ए) दिनांकित 13 जुलाई 1998 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर निम्नवत् है:-

1 सेवा में नियुक्ति की 24.12.2003
तिथि

सहायक
H. S. S. S.
जिला जज
शाहजहाँपुर
01-03-14

0000

- 11 खर्च किए गये धनराशि का स्रोत और उसके सम्बंध में संगत प्रलेख। प्रार्थी की सैलरी एकाउंट सं०-30612665548 भारतीय स्टेट बैंक में पद्मनाभन समिति की शिफारिश से बढ़े वेतन का ऐरियर बाउचर नं०-ए20/21.06.2011 के ट्रेजरी अलीगढ़ के माध्यम से रूपये 4,17,511/- तथा अर्जित अवकाश के नकदीकरण का रूपया मु० 65,617/-रु० की धनराशि जमा हुई थी, जिसे प्रार्थी बचाकर रखा था। मेरे द्वारा अपने सैलरी एकाउंट सं०-30613669548 के भारतीय स्टेट बैंक के क्रासड चैक सं०-432763 दिनांकित-31.10.2013 द्वारा रु० 7,20,000/-उक्त डेवलपर्स ने रसीद सं०-610 दिनांकित-31.10.2013 निर्गत किया भूखण्ड कय की जाने की शेष धनराशि बैंक आफ इंडिया ब्रांच टेढी पुलिया, लखनऊ से सर्वप्रथम मु० 16,80,000/-रु० के ऋण की धनराशि भूखण्ड कय करने के लिए सीधे विक्रेता आर्षा इन्फ्रा डेवलपर्स के खाते में डाल दिया गया। मैंने अपने सैलरी एकाउंट सं०-30613665548 से मु० 1,78,000/-नेफ्ट के माध्यम से दिनांक-27.12.2013 को विक्रेता के खाते में अंतरित किया गया, जिसमें मु० 1,68,000/-रु० की धनराशि बैनामा के लिए स्टाम्प खरीदने के लिए थी और 10,000/-रु० की धनराशि बैनामा की फीस के मद में थी। इस प्रकार भुगतान मेरे खाता सं०-30613665558 भारतीय स्टेट बैंक एवं बैंक आफ इंडिया से ऋण प्राप्त करके किया गया।

संलग्नक:-


- 1-विक्रेता के नाम मेरे द्वारा जारी मु० 7,20,000/-रु० के एकाउन्टपेयी चैक सं०-432763 दिनांकित-31.10.2013 की छायाप्रति।
 - 2-उक्त के सम्बंध में विक्रेता द्वारा जारी रसीद सं०-610 दिनांकित-31.10.2013 की छायाप्रति।
 - 3-नेफ्ट द्वारा मेरे खाता सं०-30613665548 भारतीय स्टेट बैंक से मु० 1,78,000/-रु० विक्रेता को भेजने के सम्बंध में, प्रपत्र दिनांकित-27.12.2013 की छायाप्रति।
 - 4-सैलरी रजिस्टर, जो यह दर्शाता है कि पद्मनाभन समिति की शिफारिश पर बढ़ा वेतन का ऐरियर प्रार्थी को प्राप्त हुआ, की छायाप्रति।
 - 5-बैंक आफ इंडिया शाखा टेढी पुलिया, लखनऊ द्वारा निर्गत ऋण के सम्बंध में प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
 - 6-बैनामा दिनांकित 17.01.2014 एवं तितम्मा विलेख दिनांकित-25.02.2014 की छायाप्रति।
- सूचना माननीय न्यायालय की सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है।

दिनांक:01.03.2014

विष्णु
(विष्णुचन्द वैश्य)
सिविल जज, सी०डि०,
शाहजहाँपुर।

STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTIES UP TO THE FINANCIAL YEAR 2013-14

Name	Appointment	Village pargana and District	Area in acres	Revenue Assessed	Estimated Value	Whether acquired or parted with	How acquired or parted with	From whom acquired of to whom parted with	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vishnu Chandra Vaish	24-12-2003	Vill. Lalloi, Lucknow	242.50 Sq.m.	NA	25,78,000 inclusive of Stamp charges of Rs. 1,78,000	Purchased from Mrs. Madhav Green Project, Lucknow	Purchased from Mrs. Madhav Green Project, Lucknow	Purchased from Mrs. Madhav Green Project, Lucknow	Nil


(Vishnu Chandra Vaish)
 XVth Additioanl District Judge,
 Kampur-Nagar.